INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 16 | ISSUE - 2 | MARCH – 2026

"रीवा जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों की स्थिति – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय
शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. गायत्री मिश्रा
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ कुल श्रमशक्ति का अधिकांश भाग संलग्न है। तथापि इस क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, विधिक संरक्षण तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रायः वंचित रह जाते हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य रीवा जिले के विशेष संदर्भ में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों विशेषतः समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23) तथा राज्य के नीति–निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 39, 41, 43) की वास्तविक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में यह देखा गया है कि यद्यपि संविधान श्रमिकों को गरिमामय जीवन, समान अवसर और सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा की आधारभूमि प्रदान करता है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर जागरूकता की कमी, प्रशासनिक शिथिलता, पंजीयन संबंधी जटिलताएँ तथा योजनाओं की सीमित पहुँच इनके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। रीवा जिले में निर्माण, घरेलू कार्य, कृषि–आधारित मजदूरी तथा लघु व्यवसायों में संलग्न श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि संवैधानिक आदर्श और जमीनी यथार्थ के मध्य स्पष्ट अंतर विद्यमान है। अतः श्रमिकों के अधिकारों की प्रभावशीलता हेतु विधिक जागरूकता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

मुख्य शब्द : असंगठित क्षेत्र, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानून, रीवा जिला, श्रमिक कल्याण।

प्रस्तावना –

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में असंगठित क्षेत्र की भूमिका अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी है। देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि, निर्माण, लघु उद्योग, घरेलू कार्य, परिवहन, फुटकर व्यापार तथा अन्य अनौपचारिक व्यवसायों में संलग्न हैं। इन श्रमिकों का श्रम राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की निरंतरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है, किंतु विडंबना यह है कि इन्हें संगठित क्षेत्र के समान विधिक संरक्षण, वेतनमान, सेवा–नियम तथा सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएँ प्रायः उपलब्ध नहीं हो पातीं। असंगठित क्षेत्र की यही संरचनात्मक असमानता इसे अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण विषय बनाती है।

भारतीय संविधान ने श्रमिकों के अधिकारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में संरक्षण प्रदान किया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी एवं मानव तस्करी जैसे शोषण के रूपों को निषिद्ध करता है। इसी प्रकार, राज्य के नीति–निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39, 41 तथा 43 राज्य को यह दायित्व सौंपते हैं कि वह नागरिकों को पर्याप्त आजीविका, कार्य के न्यायसंगत एवं मानवीय परिस्थितियाँ तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जहाँ श्रमिक वर्ग का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो।

रीवा जिला, जो मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है, सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से मिश्रित स्वरूप रखता है। यहाँ कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ–साथ निर्माण, लघु व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की उल्लेखनीय संख्या पाई जाती है। विशेषतः ग्रामीण एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग अस्थायी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्य–स्थितियाँ तथा सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। महिला श्रमिकों एवं प्रवासी मजदूरों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील है, जहाँ लैंगिक असमानता एवं विधिक जागरूकता का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

यद्यपि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएँ जैसे– सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, श्रम संहिताएँ 2020, ई–श्रम पोर्टल, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड प्रवर्तित की गई हैं, तथापि इनकी वास्तविक पहुँच एवं प्रभावशीलता प्रश्नों के घेरे में है। संवैधानिक अधिकारों की सैद्धांतिक स्वीकृति और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन के मध्य जो अंतराल है, वही इस अध्ययन का केंद्रीय बिंदु है। प्रस्तुत शोध–पत्र इसी परिप्रेक्ष्य में रीवा जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शोध का उद्देश्य –

भारतीय संविधान की मूल भावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित है। श्रमिक वर्ग के उत्थान एवं संरक्षण को इसी न्यायिक संरचना के अंतर्गत विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि संवैधानिक अधिकारों की जानकारी, उपलब्धता एवं क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक बाधाएँ विद्यमान हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) रीवा जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
(2) संवैधानिक प्रावधानों एवं जमीनी क्रियान्वयन के मध्य अंतर की पहचान करना।
(3) श्रमिकों के अधिकार–संरक्षण हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों का प्रतिपादन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक समंक पर आधारित है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों, श्रम संबंधी अधिनियमों, श्रम संहिताओं 2020, सरकारी वार्षिक प्रतिवेदनों, आर्थिक सर्वेक्षणों, जनगणना आँकड़ों तथा विभिन्न शोध–पत्रों एवं पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। रीवा जिले से संबंधित सांख्यिकीय सूचनाएँ राज्य शासन की आधिकारिक रिपोर्टों एवं श्रम विभाग के प्रकाशनों से संकलित की गई हैं। संकलित सामग्री का विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति से अध्ययन करते हुए संवैधानिक प्रावधानों की तुलना वास्तविक परिस्थितियों से की गई है। इस प्रकार यह शोध गुणात्मक स्वरूप का है, जिसमें वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

विश्लेषण –

रीवा जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि विधिक संरचना सुदृढ़ होने के बावजूद व्यवहारिक स्तर पर अनेक विसंगतियाँ विद्यमान हैं। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार सैद्धांतिक रूप से सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, किंतु असंगठित

क्षेत्र में श्रमिकों को वेतन, कार्य–घंटों एवं सुरक्षा मानकों में भिन्नता का सामना करना पड़ता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद कई क्षेत्रों में निर्धारित दर से कम पारिश्रमिक दिया जाना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमामय जीवन का अधिकार श्रमिकों के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर कार्य–परिस्थितियों की अपेक्षा करता है। तथापि निर्माण स्थलों, ईंट–भट्टों एवं कृषि कार्यों में सुरक्षा उपकरणों का अभाव तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता इस अधिकार के आंशिक क्रियान्वयन को दर्शाती है। महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ, समान वेतन एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे अधिकारों की जानकारी सीमित है, जिससे उनका संवैधानिक संरक्षण व्यवहारिक रूप से कमजोर हो जाता है।

अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी निषिद्ध है, किंतु ऋणग्रस्तता एवं अस्थायी अनुबंधों के कारण श्रमिक अप्रत्यक्ष निर्भरता की स्थिति में बने रहते हैं। नीति–निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्य पर यह दायित्व है कि वह कार्य के न्यायसंगत एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करे, परंतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कवरेज सीमित होने से पेंशन, बीमा एवं स्वास्थ्य लाभ सभी तक नहीं पहुँच पाते।

रीवा जिले में श्रमिकों की विधिक जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। अधिकांश श्रमिक अपने अधिकारों एवं उपलब्ध योजनाओं से पूर्णतः अवगत नहीं हैं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता, दस्तावेजों की कमी एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव योजनाओं की पहुँच को सीमित करता है। ई–श्रम पंजीयन जैसी पहलें सकारात्मक दिशा में कदम हैं, किंतु इनकी प्रभावशीलता के लिए व्यापक जनजागरूकता एवं स्थानीय स्तर पर सहयोग आवश्यक है। अतः उपरोक्त विश्लेषणात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि संवैधानिक अधिकारों की आधारभूमि मजबूत है, परंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत समन्वय, निगरानी तंत्र की सुदृढ़ता एवं श्रमिक शिक्षा अनिवार्य है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्रतिपादित होता है कि रीवा जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संवैधानिक अधिकारों की सैद्धांतिक संरचना पर्याप्त है, किंतु व्यवहारिक क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। समानता, गरिमामय जीवन एवं शोषण से मुक्ति जैसे मूल अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति हेतु प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं जागरूकता का विस्तार आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्यापक पहुँच, श्रमिक पंजीयन की सरल प्रक्रिया तथा विधिक साक्षरता अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकते हैं। अतः राज्य, प्रशासन एवं नागरिक समाज के समन्वित प्रयासों द्वारा ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों को वास्तविक अर्थों में सुनिश्चित किया जा सकता है।

संदर्भ –

1. बसु, दुर्गा दास, भारत के संविधान का परिचय, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, 2021
2. भारत सरकार, भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 2022
3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2023
4. झाबवाला, रेणाना, भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2020
5. कन्नन, के. पी., अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकः अध्ययन एवं परिप्रेक्ष्य, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2019
6. मध्यप्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल, 2023